न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व), श्रीकरणपुर

पीठासीन अधिकारी : श्री मती रीना छिम्पा {आर.ए.एस.}

प्रकरण संख्या : 36/2014

सरदूल सिंह बनाम बलजीत कौर आदि

प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी

(दावा अन्तर्गत धारा 88,188,92 आरटीए)

--आदेश-- दिनांक : 25/6/2019

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रतिवादीगण के द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी पेश कर निवेदन किया कि वादी के द्वारा उक्त वाद चक 14 एच की जमाबन्दी सम्वत 2068 ता 2071 के मु.न. 16 के किला न. 1 ता 25 में प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 के नाम 1.033 है. नहरी भूमि का वादी को खातेदार घोषित किये जाने का वाद पेश किया हुआ है जो गलत पेश किया गया है वादी को प्रतिकूल कब्जा के आधार पर कोई भी खातेदारी अधिकार प्राप्त नही होते है और ना ही उपर्युक्त भूमि पर वादी का कब्जा काश्त है। इसके अलावा माननीय न्यायालय रवेन्यू बोर्ड अजमेर की फुल बैन्च द्वारा भी निर्णय पारित किया गया है कि प्रतिकूल कब्जा के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत खातेदारी अधिकार प्राप्त नही किये जा सकते और ना ही मुकदमा न्यायालय में चलाया जा सकता है। इसलिए वादी को कोई वादकारण हासिल नही हैं। और वादी का वाद मौजुदा स्टेज पर ही खारिज किये जाने योग्य है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि वादी का उक्त वाद मौजूदा स्टेज पर मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र की नकल वकील वादी को दिलवाई गई। वकील वादी के द्वारा प्रार्थना पत्र का जवाब पेश कर निवेदन किया। कि वादी द्वारा 1.033 है. भूमि की घोषणा का दावा पेश किया गया है। यह कथन गलत है कि विवादित भूमि पर वादी का कब्जा न हो एवं दर्ज तथ्यों के आधार पर वादीगण को कोई वाद कारण हासिल नही होता हो। वाद कारण का बिन्दू साक्ष्य से साबित होता है। दावा में तनकी कायम नही हुई है। तनकीयात कायम होने से पूर्व कानूनन आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. का प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य हैं अतः जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रतिवादीगण का प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी विशेष हर्जाने के साथ खारिज फरमाया जावे। नकल जवाब प्रार्थना पत्र प्रतिवादीगण अधिवक्ता को दिलाई गई।

बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी (प्रतिवादीगण) के द्वारा अपनी बहस मे प्रार्थना पत्र मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुये निवेदन किया कि वाद पत्र इसी स्टेज पर खारिज किया जावे। इस संबंध मे माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल, राजस्थान अजमेर के न्यायिक दृष्टांत आर.आर.डी. 2011 पेज न0 508 'जगदीश व अन्य बनाम सीताराम व अन्य' पेश किया, जिसका सम्मानपूर्वक अवलोकन किया गया। याचिका दृष्टांत के अनुसार "The Rajasthan Tenancy Act does not have any provision to confer tenancy rights to the adverse possessor- Conferment of tenancy rights is against the basic spirit of this special legislation". वकील अप्रार्थी (वादी) के द्वारा अपनी बहस मे जवाव प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि साक्ष्य के बाद यह तय होना है कि वाद पत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार मे है या नही। अतः प्रार्थना पत्र मय खर्चा खारिज किया जावे।

बहस पर मनन किया एवं पत्रावली तथा प्रार्थना पत्र पर अवलोकन किया। प्रार्थी (प्रतिवादीगण) के द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी मे निवेदन किया है कि वादी के द्वारा प्रतिकूल कब्जा के आधार पर खातेदारी अधिकारी प्राप्त करने बाबत वाद पत्र पेश किया है। प्रतिकूल कब्जा के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत खातेदारी अधिकार प्राप्त नही किये जा सकते, इसलिए वाद पत्र खारिज किया जावे।

सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 7 नियम 11 मे यह प्रावधान है कि वाद पत्र निम्नलिखित दशाओं में ना मंजूर कर दिया जाएगा-

1. जहां वह वाद हेतुक प्रकट नही करता।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

Scanned by CamScanner

सरदूल सिंह बनाम बलजीत कौर आदि
प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी
(दावा अन्तर्गत धारा 88,188,92 आरटीए)

2. जहां दावाकृत मूल्यांकन कम किया गया है और वादी मूल्यांकन को ठीक करने के लिए न्यायालय द्वारा आपेक्षित किये जाने पर उस समय के भीतर जो न्यायालय ने नियत किया है ऐसा करने मे असफल रहता है।

3. जहां दावाकृत अनुतोष का मूल्यांकन ठीक है किन्तु वाद पत्र अपर्याप्त स्टाम्प पेपर पर लिखा गया है और वादी आपेक्षित स्टाम्प पत्र देने के लिए न्यायालय द्वारा आपेक्षित किये जाने पर उस समय के भीतर जो न्यायालय मे नियम किया है ऐसा करने मे असफल रहता है।

4. जहां वाद पत्र के कथन से यह प्रतीत होता है कि वाद किसी विधि द्वारा वर्जित है।

प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र मे यह उल्लेख किया गया है कि वाद विधि द्वारा वर्जित होने के कारण खारिज करने योग्य है। वाद विधि के द्वारा वर्जित है या नही, इसके लिए वाद पत्र का अवलोकन किया गया। वाद पत्र के बिन्दु संख्या 3 के अनुसार प्रतिवादीगण के पति एवं पिता भूरा सिंह 1974-75 से गांव सींगो तहसील तलवण्डी साबो पंजाब मे निवास कर रहे है, जो उपर्युक्त अपनी भूमि यहां से छोडकर पंजाब चले गए थे। वादी अपने नाम की उपर्युक्त 1.345 है0 नहरी भूमि व प्रतिवादीगण के नाम की उपर्युक्त 1.033 है0 नहरी भूमि कुल 2.378 है0 नहरी भूमि पर वादी वर्ष 1974-75 से आज तक लगातार काबिज चला आ रहा है यानि वादी का कब्जाकाश्त लगभग 40 वर्षो से शांतिपूर्वक बतौर खातेदार चला आ रहा है।

वादी द्वारा यह अनुतोष प्रतिकूल कब्जा के आधार पर मांगा गया है और खातेदारी अधिकारों के स्थानांतरण बाबत कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नही किया गया।

राजस्व मण्डल, राजस्थान अजमेर के परिपत्र क्रमांक सम/6198-6900 दिनांक 05.04.2019 की बिन्दु संख्या 19 के अनुसार जिन मामलों मे प्रतिकूल कब्जा के आधार पर खातेदारी अधिकार मांगे जाते है उनका निस्तारण मण्डल की पूर्ण पीठों द्वारा निम्न मामलों मे प्रतिपादित सिद्धांतो के अनुसार किया जाए-

1. 2011 RRD 508 जगदीश एवं अन्य बनाम सीताराम व अन्य
2. 2018 RRD 715 सरजू राव बनाम अमृत लाल

2018 RRD 715 सरजू राव बनाम अमृत लाल के निर्णय अनुसार "After giving an exhaustive consideration to the matter in hand, we are also constrained to note that in the Rajasthan Tenancy Act, 1955, there is no provision in whom the khatedari rights would vest in case the land has been acquired by a person through adverse possessior." अर्थात राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रतिकूल कब्जा के आधार पर खातेदारी अधिकार प्रदान करने का कोई भी प्रावधन नही है।

उपर्युक्त तथ्यों के विवेचन एवं पत्रावली मे उपलब्ध साक्ष्य सबूत के आधार पर प्रार्थी (प्रतिवादीगण) के द्वारा पेश प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी स्वीकार किया जाकर वादपत्र इसी स्टेज पर खारिज किया जाता है। पर्चा डिक्री इस आशय का जारी हो। प्रार्थना पत्र शामिल पत्रावली रहे।

आदेश आज दिनांक....25/6/2019....को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

{श्री मती रीना छिम्पा आर.ए.एस}
उपखण्ड अधिकारी {राजस्व}
श्रीकरणपुर, जिला-श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर (श्री गंगानगर) सत्यमेव जयते

Scanned by CamScanner